

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 278 / 2008

दर्ज दिनांक:—16.05.2008

- | | | |
|----------|------|------------------|
| 1. अशरफी | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. सूरजा | पता— |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—24.09.2019

पत्रावली का अवलोकन किया बार-बार अवसर देने के बाबजूद भी प्रतिवादी सं. 1 की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई अन्तिम अवसर देने के साथ दिनांक 21.08.2018 व 09.07.2019 को तलवी न कराने पर दावा वादी अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी गई है। किन्तु वादी द्वारा पालना नहीं किये जाने से प्रतीत होता है कि वह अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

संजय गोयल, आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर